भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 71

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

सी.एस.आर. के अंतर्गत पूरे किए गए कार्य/परियोजनाएं

71. कुमारी राम्या हरिदासः
डॉ. निशिकांत दुबेः
श्री मनोज तिवारी:
श्रीमती पूनम महाजनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केरल, महाराष्ट्र और झारखंड में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यों/परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सीएसआर के अंतर्गत पूरी नहीं हो पाई परियोजनाओं का ब्यौरा और नाम क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने के लिए सरकार द्वारा नोडल एजेंसियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए एक व्यापक ढ़ाचा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के तहत सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर का ढांचा प्रकटीकरण आधारित है तथा सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को वार्षिक रूप से अपने सीएसआर कार्यकलापों का विवरण एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल करना अपेक्षित है। तथापि, सरकार द्वारा सीएसआर परियोजनाओं या कार्यकलापों का पूर्ण होने संबंधी स्थिति का विवरण अलग से नहीं रखा जाता है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल किया गया सीएसआर से संबंधित समस्त डाटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे www.csr.gov.in पर देखा जा सकता है। सरकार कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में किये गए प्रकटीकरण के माध्यम से सीएसआर उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करती है। जब कभी भी सीएसआर उपबंधों की अवहेलना की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो ऐसी गैर अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरूध अधिनियम में दिए प्रावधानों के अनुसार रिकार्डों की सम्यक् जांच के पश्चात तथा सम्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाती है।

कंपनियों द्वारा एससीए21 रजिस्ट्री में वार्षिक रूप से की गई फाइलिंग के आधार पर, केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली राज्यों में सभी कंपनियों द्वारा पिछले पाँच वित्तीय वर्षों (वि.व) 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान सीएसआर व्यय का विकास क्षेत्र वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक I, II, III और IV में दिया गया है।

*****

दिनांक 04.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

केरल में क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र. सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**
1	कृषि वानिकी	0.05	-	-	-	0.38
2	पशु कल्याण	0.33	0.37	0.23	0.33	0.42
3	सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं /आश्रित	-	0.05	0.03	0.56	0.13
4	कला और संस्कृति	2.01	3.15	2.15	1.24	1.46
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	0.21	2.36	-	0.71	0.50
6	शिक्षा	47.97	38.50	66.45	52.36	49.99
7	पर्यावरणीय स्थिरता	17.14	26.74	41.90	12.28	26.70
8	लैंगिक समानता	0.46	1.43	0.25	0.31	1.59
9	स्वास्थ्य देखभाल	68.53	72.23	52.31	110.91	74.85
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	8.33	40.65	10.89	25.51	4.37
11	गरीबी, भूखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	23.46	78.72	38.83	23.01	13.45
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	31.99	52.07	6.26	38.90	15.12
13	स्वच्छ पेयजल	0.62	2.84	52.54	0.54	0.38
14	स्वच्छता	1.01	6.87	11.06	2.07	2.16
15	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	1.75	1.56	0.77	0.34	2.32
16	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	3.48	8.97	8.22	5.12	2.25
17	अनाथालय की स्थापना	0.51	1.01	0.40	0.03	2.14
18	स्लम क्षेत्र का विकास	0.35	0.37	0.34	1.39	-
19	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	7.03	3.25	1.34	1.64	6.39
20	विशेष शिक्षा	0.75	4.51	0.91	0.60	2.38
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.18	0.67	0.04	0.35	-
22	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	1.06	2.34	0.68	9.04	4.95
23	व्यावसायिक कौशल	0.58	4.20	0.70	2.64	19.44
24	महिला सशक्तिकरण	1.64	1.66	2.08	0.75	2.64
25	एनईसी / उल्लिखित नहीं *	0.28	0.25	0.19	0.02	-
कुल योग		**219.73**	**354.78**	**298.56**	**290.67**	**234.01**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल]**

*** कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

दिनांक 04.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

महाराष्ट्र में क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	**विकास क्षेत्रवार**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**
1	कृषि वानिकी	1.29	1.76	2.38	2.97	4.52
2	पशु कल्याण	8.47	14.43	12.03	14.45	22.97
3	सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिकों, युद्ध विरांगना/आश्रित	0.48	5.44	2.94	1.28	4.43
4	कला और संस्कृति	16.04	14.05	18.72	18.31	23.11
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	12.20	16.49	22.24	10.44	43.32
6	शिक्षा	1,244.42	1,271.93	1,216.76	1,460.21	1,264.95
7	पर्यावरणीय स्थिरता	123.93	139.06	171.87	150.99	315.06
8	लैंगिक समानता	6.37	19.45	18.28	9.02	17.01
9	स्वास्थ्य देखभाल	747.08	857.86	1,072.17	1,154.48	1,825.96
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	127.48	144.88	113.25	125.30	191.68
11	गरीबी, भूखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	63.76	97.66	138.76	144.72	823.79
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	126.90	208.24	147.36	117.52	313.47
13	स्वच्छ पेयजल	37.40	46.69	28.25	15.81	22.89
14	स्वच्छता	28.09	39.11	46.17	25.82	41.56
15	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	5.71	6.51	4.62	9.04	12.47
16	महिलाओं के लिए गृहों और छात्रावासों की स्थापना	26.03	22.30	21.38	8.06	24.32
17	अनाथालय की स्थापना	6.29	3.17	1.37	4.85	5.83
18	स्लम क्षेत्र का विकास	1.17	6.69	3.37	5.85	2.93
19	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	52.45	39.73	41.46	16.98	22.59
20	विशेष शिक्षा	31.74	17.19	16.15	30.40	44.22
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	4.48	3.68	18.59	20.75	2.42
22	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	32.84	60.74	45.45	16.51	53.58
23	व्यावसायिक कौशल	66.24	77.30	131.35	53.85	102.44
24	महिला सशक्तिकरण	26.45	33.31	40.04	42.41	43.77
25	एनईसी / उल्लिखित नहीं *	0.23	0.04	18.28	4.77	-
कुल योग		**2,797.53**	**3,147.72**	**3,353.24**	**3,464.81**	**5,229.31**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

***कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

अनुलग्नक-III

दिनांक 04.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

झारखंड में क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**
1	कृषि वानिकी	-	-	0.96	-	0.02
2	पशु कल्याण	0.45	0.16	0.53	3.50	1.85
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विरांगना/आश्रित	-	0.00	0.02	0.19	0.14
4	कला और संस्कृति	0.41	1.04	0.16	3.31	2.41
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	1.27	0.77	1.19	0.16	1.12
6	शिक्षा	20.58	28.64	23.71	35.85	39.44
7	पर्यावरणीय स्थिरता	2.45	2.95	1.13	3.42	19.48
8	लैंगिक समानता	0.26	-	4.62	0.12	0.31
9	स्वास्थ्य देखभाल	9.90	11.72	8.58	48.40	50.69
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	4.41	3.45	4.72	5.51	9.00
11	गरीबी, भूखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	10.53	3.55	8.10	14.27	5.44
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	13.01	14.35	21.57	33.46	32.57
13	स्वच्छ पेयजल	5.53	5.79	5.93	3.97	5.47
14	स्वच्छता	23.25	29.20	67.87	57.56	1.53
15	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	0.34	0.15	0.01	0.83	0.78
16	महिलाओं के लिए गृहों और छात्रावासों की स्थापना	0.62	0.02	0.10	-	-
17	अनाथालय की स्थापना	-	-	0.01	0.00	-
18	स्लम क्षेत्र का विकास	0.01	0.20	0.52	0.19	0.01
19	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	0.78	0.03	0.42	0.28	0.32
20	विशेष शिक्षा	0.11	0.32	0.43	0.43	0.56
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	2.00	0.06	-	0.00	-
22	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण	4.97	5.31	0.15	1.91	4.31
23	व्यावसायिक कौशल	3.97	1.90	2.29	12.26	15.73
24	महिला सशक्तिकरण	3.37	0.20	2.20	0.91	1.25
25	एनईसी / उल्लिखित नहीं	1.00	-	-	-	-
कुल योग		**109.23**	**109.80**	**155.21**	**226.54**	**192.41**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डेटा पोर्टल]**

*** कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का नाम निर्दिष्ट किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**

अनुलग्नक-IV

दिनांक 04.12.2023 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दिल्ली में क्षेत्रवार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)						
क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**	**वित्तीय वर्ष 2019-20**	**वित्तीय वर्ष 2020-21**	**वित्तीय वर्ष 2021-22**
1	कृषि वानिकी	0.20	0.06	0.01	0.03	0.27
2	पशु कल्याण	1.29	3.86	3.24	10.23	15.75
3	सशस्त्र बलों, पूर्व सैनिक, युद्ध विरांगना/आश्रित	8.31	17.35	3.44	9.21	17.69
4	कला और संस्कृति	13.19	8.15	16.10	19.15	48.60
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	9.32	112.24	98.73	1.22	5.57
6	शिक्षा	214.73	265.64	321.21	261.43	348.64
7	पर्यावरणीय स्थिरता	52.75	18.12	21.83	27.10	97.13
8	लैंगिक समानता	2.02	2.32	7.80	1.52	6.03
9	स्वास्थ्य देखभाल	92.72	121.98	225.38	200.27	423.47
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	19.23	6.86	15.80	19.77	12.47
11	गरीबी, भूखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	21.07	16.68	31.76	77.51	67.91
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	17.82	50.91	6.54	3.05	5.65
13	स्वच्छ पेयजल	3.54	3.22	2.73	0.71	0.93
14	स्वच्छता	26.04	24.88	10.09	19.91	11.44
15	वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण	3.31	4.64	3.41	2.85	5.30
16	महिलाओं के लिए गृहों और छात्रावासों की स्थापना	0.17	1.44	0.17	0.22	2.23
17	अनाथालय की स्थापना	0.59	1.88	0.70	0.82	1.38
18	स्लम क्षेत्र का विकास	4.82	0.65	0.04	0.84	0.37
19	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	8.27	4.48	4.57	8.24	16.40
20	विशेष शिक्षा	21.42	21.59	6.14	7.45	16.36
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	3.25	1.35	2.17	2.55	2.43
22	खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए	16.84	12.05	9.59	5.39	22.84
23	व्यावसायिक कौशल	23.97	29.77	26.04	17.19	16.33
24	महिला सशक्तिकरण	14.46	20.74	12.49	17.39	12.83
25	एनईसी / उल्लिखित नहीं	0.06	-	0.02	10.54	-
कुल योग		**579.37**	**750.85**	**830.00**	**724.59**	**1,158.00**

(31.03.2023 तक के आंकड़े) **[स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]**

*** कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का नाम निर्दिष्ट किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।**